पत्रांक–02/सी.01–28/2025 ..186.....
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार
निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः 09/02/2026

विषयः– **67वीं एवं 68वीं सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) में पदाधिकारियों का क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 120 दिनांक 23.01.2025 द्वारा 67वीं एवं 68वीं सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) में पदाधिकारियों का क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों में 15 सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण चर्या घोषित किया गया था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 द्वारा **बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024** परिचारित है, जिसमें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को 04 चरणों में विभाजित किया गया है। उक्त चार चरणों में से तीन चरण प्रथम, द्वितीय एवं चुतर्थ चरण में बिपार्ड में प्रशिक्षण कराया जाना है तथा तृतीय चरण में क्षेत्रीय कार्यालयों में छः माह का प्रशिक्षण कराया जाना है।

3. उपरोक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 120 दिनांक 23.01.2025 को संशोधित करते हुए बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में छः माह अर्थात् 26 सप्ताह की प्रशिक्षण चर्या निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

क्र0 सं0	कार्यालय/संस्था का नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3
1	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी	दो सप्ताह
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी	दो सप्ताह
3	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी	दो सप्ताह
4	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जिला स्तरीय कार्यालय	दो सप्ताह
5	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी	दो सप्ताह

6	जिला कोषागार कार्यालय	दो सप्ताह
7	जिला समाहरणालय, स्थापना शाखा	दो सप्ताह
8	जिला समाहरणालय, विधि शाखा	दो सप्ताह
9	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी का कार्यालय	दो सप्ताह
10	जिला लेखा पदाधिकारी का कार्यालय	एक सप्ताह
11	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय	दो सप्ताह
12	जिला के मुख्यालय में अवस्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	एक सप्ताह
13	जिला के मुख्यालय में अवस्थित मध्य विद्यालय	एक सप्ताह
14	जिला समाहरणालय, आपदा प्रबंधन शाखा	एक सप्ताह
15	जिला समाहरणालय, राजस्व शाखा	एक सप्ताह
16	जिला समाहरणालय, अभिलेखागार शाखा	एक सप्ताह

4. अतः अनुरोध है कि तिथिवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर अपने–अपने जिला में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारियों, को शेष प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित किया जाय तथा तिथिवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक–एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता पूर्वक पूर्ण कराकर यह प्रमाण अंकित किया जाना है कि नवनियुक्त पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

5. अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोरंजन कुमार),
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक 02/सी.01–28/2025 .... दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद्, महेन्द्रू/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/(योजना एवं लेखा)/(माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)/(मध्याह्न भोजन योजना) तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक 02/सी.01–28/2025 186 दिनांक 09/02/2026

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इमेल करना सुनिश्चित किया जाय।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-02-2026 16:33:26
निदेशक (प्रशासन)